प्रेस नोट दिनाँक-09.11.2022

(1). दिनाँक-08.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया ।

(2). आज दिनांक 09.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइऩ, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी एवं पैरोकार आरक्षी आशोक यादव द्वारा मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। प्रभारी संयुक्त अभोजन अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणामस्वरुप विशेष न्यायधीश गैंगेस्टर/अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी कोर्ट श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 38/2018 धारा 02/03 गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. करन पाण्डेय पुत्र रामविनायक निवासी बड़ा खुरमा थाना मण्डा जनपद प्रयागराज को 04 वर्ष 06 माह का कारावास व 10,000- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(4). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना बरगढ़ श्री योगेश तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा द्वारा मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणामस्वरुप अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 02 चित्रकूट श्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 1194/2011 धारा 308/34,323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. सहदेव 2. देवलाल 3. चन्द्रलाल 4. नन्दलाल पुत्रगण विशम्भर निवासीगण कलचिहा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 09-09 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 208/2022 धारा 147,148,149,307,352,323,504,506 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त जीतू उर्फ रघुवीर मिश्रा पुत्र भोला प्रसाद मिश्रा निवासी माधवगंज कस्वा व थाना राजापुर को 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध तमंचा व कारतूस बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना राजापुर में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी

01 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह थाना राजापुर
2. आरक्षी शुभम त्रिपाठी
3. आरक्षी अंकित शुक्ला